

26/10/2017 पञ्जाबली पीछे हुकी तकील करीब 100-150/

पकील रिस्पॉन्ड द्वारा सहमती का जवाब  
 उपरुद किया जिसे कामील पञ्जाबली किया  
 गया। तबस सुनी गयी तकील रिस्पॉन्ड  
 ने प्रार्थना पत्र में लिखित तर्कों को  
 दोहराया एवं रिस्पॉन्ड रिस्पॉन्ड स्तीअर  
 किया जाने हे हे निवेदन किया तकील  
 रिस्पॉन्ड ने किसी प्रकार का विरोध नहीं  
 किया एवं माने जताते के आधार पर  
 रिस्पॉन्ड स्तीअर करने हे निवेदन किया  
 हमने पञ्जाबली एवं दादाबिजी साक्ष्य का  
 ध्यान रखते किया गया। प्रकरण का अदालत  
 विवरण बत प्रकार हे कि नामान्तकवण  
 संख्या 1678 दिनांक 12/5/2016 वापर किया  
 गया जिसमें पटवारी द्वारा जीतमल के तारिखान  
 का संजरा पताया उसमें जीतमल के पुत्र  
 आजाद कुमार नाम लिखित किया जाचकी  
 जीतमल के आजाद कुमार का पुत्र नहीं  
 हे आजाद कुमार बीकन नाम हे वातरतिउ  
 नाम महेंद्र कुमार हे बीकन नाम आजाद  
 कुमार होने से आजाद कुमार सजरे में  
 लिखित कर नामान्तकवण 1678 स्तीअर  
 किया जिसमें आजाद कुमार नाम लिखित  
 कर दिया जिसे आजाद कुमार के बयान

गण्य

दालत  
मुक  
त

फर्द अहकाम

( नियम 26 )

उपरतल अधिकारी

गंगार

दालत मुकाम

महेन्द्र कुमार

मिर्जाबाद

बनाम

मुकदमा नं. सन्

6/2016 अपील

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--

पर महेन्द्र कुमार द्वारा शिर्षे जाने हेतु अपील प्रस्तुत कि है। पत्रावली एवं नामांककरण सरण्या 1678 का मिलावट न मिले जाने के कारण इस निष्पत्ति पर पहुंचा है कि मिर्जाबाद स्पीडर किया जाना जरूर होगा।

अतः अपील मिलावट स्वीकार किया जाकर ग्राम वीरदा के नामांककरण सरण्या 1678 निष्पत्ति दिनांक 12/5/2016 को निरस्त किया जाकर जाता है एवं नामांककरण पूर्ण दापर के कर मालाद कुमार के स्थान पर महेन्द्र कुमार शिर्षे किया जावे। इसी अनुसार ग्राम वीरदा के मालाद नम्बर के रवाग सरण्या 137, 138, 140, 141, 614 में मालाद कुमार के स्थान पर महेन्द्र कुमार शिर्षे जाकर सरइजलात सुनाया गया। निष्पत्ति की प्रति तहसीलदार गंगार को भेजी जाते। पत्रावली मालाद कुमार शिर्षे नम्बर से कम हो